राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

कमांक: प.3 (141)पार्ट / निकृवि / नियंमन / सीधी खरीद / 11 / दिनांक:

समस्त सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति।

विषय-- कृषि उपज मण्डी समितियो की उपविधियों मे सीधी खरीद संबंधी प्रावधानों मे संशोधन बाबत ।

प्रसंग-- निदेशालय के परिपत्र कमांक 31512-647 दिनांक 11.11.09।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों की आदर्श उपविधियों मे सीधी खरीद संबंधी प्रावधान किये जाकर उपविधियों के भाग पंचम 'अ' मय घोषणा पत्र, प्रारूप एवं परिशिष्ट के भिजवाये गये थे। निदेशालय स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक उपरान्त लिए गये निर्णय के कम में उक्त उपविधियों में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है--

प्रावधान का कमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
बिन्दुं सं 2-- न्यूनतम कय मात्रा मै.टन में	फल एवं सब्जी 500 मै.टन मसाले 500 मै.टन दलहन 1000 मै.टन अन्य 2000 मै.टन	समस्त फल एवं सब्जी 500 मै.टन समस्त मसाले 500 मै.टन समस्त दलहन 500 मै.टन देशी एवं नरमा कपास 500 मै.टन समस्त तिलहन 1000 मै.टन समस्त अन्य खाधान्न 1000 मै.टन (ग्रुपवाईज न्यूनतम कय मात्रा)
बिन्दु संख्या 2 -- आवेदक की नेटवर्थ	एक करोड रू	0.50 करोड रूपये (पचास लाख रूपये)
बिन्दु संख्या 4-- अमानत / प्रतिभूति राशि	दैनिक कय क्षमता के अनुसार एक दिन के अधिक खरीद मूल्य के बराबर की एफ.डी.आर. / अमानत / प्रतिभूति राशि	एक दिन की कय क्षमता के औसत खरीद मूल्य के बराबर की अमानत / प्रतिभूति राशि / बैंक गारन्टी
बिन्दु संख्या 5-- खरीद केन्द्र	खरीद केन्द्र प्रसंस्करण संयत्र अथवा उसके प्रागण से भिन्न मण्डी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होगा	मण्डी अधिनियम की धारा 14 (2 i & iv) में वर्णित प्रयोजनों हेतु 'मार्केट प्रोपर' में भी सीधी खरीद अनुज्ञेय हैं। साथ ही अन्य प्रयोजनों हेतु मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों की सीधी खरीद अनुज्ञेय है। परन्तु 'मार्केट प्रोपर' अथवा मण्डी क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो पर सीधी खरीद अगर प्रसंस्करण संयत्र पर ही होती है तो ऐसी दशा में कृषि जिन्सों की आवक एवं जावक के लिए पृथक से गेट होंगे तथा पृथक से गोदाम भी होगा एवं वहां समस्त अभिलेखों का संधारण अनिवार्य होगा।
बिन्दु संख्या 6(3)-- तौल कांटा स्थापित करना	कय केन्द्र पर इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापित करना अनिवार्य है।	कय केन्द्र पर इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा अथवा इलेक्ट्रोनिकली तौल की सम्पूर्ण व्यवस्था आवश्यक है ।

[आगा पृ.2 ... 2]

कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में उक्तानुसार सीधी खरीद बाबत संशोधित प्रावधान के लिए मण्डी समिति का प्रस्ताव पारित कर संशोधित प्रावधानों को सम्मिलित किया जावे। इस बाबत राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 37 मे निहित शक्तियों के प्रयोग में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांक: प.3 (141)पार्ट / निकृवि / नियमन / सीधी खरीद / 11 / 59921-60058 दिनांक 22/3/11

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक,कृषि विपणन विभाग, ... को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार की कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में उक्तानुसार सीधी खरीद बाबत संशोधित प्रावधान होना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
कृषि विपणन